(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड–I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 69 (आर.ई. 2014)/2009–2014

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2014

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–II (2009–14) में खाद्य उत्पाद (उत्पाद कोड–(ड.) हेतु मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) का निर्धारण ।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड–II (2009–14) में क्रम सं0 ड.132 पर निम्नानुसार एक नई प्रविष्टि जोड़ते हैं:-

निर्यात मद	मात्रा	क्रम सं0	आयात मद	मात्रा
नमकीन/मिक्स्चर/खाने की स्वादिष्ट सामग्रियां	1.00 किग्रा.	1	चने, मसूर की दाल, सीरियल फ्लेक्स, हरी मटर	0.600 किग्रा.
		2	खाद्य वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल/सूरजमुखी का तेल /ताड का तेल/ मूंगफली का तेल/वसा/तलने वाली वसा (जैतून का तेल अनुमति नहीं है)	0.280 किग्रा.
		3	एफएसएसएआई से यथा अनुमोदित संबंधित खाद्य योज्य–टोकोफेरॉल, लेसीथिन, बुटीलेटिड हाइड्रोक्सी–नेनीसोल (बीएचए) टरशियरी बुटाइल हाइड्रो क्यूनोन (टीबीएचक्यू), मिथाइल सेल्यूलोज, कारबोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, गेलन गम	0.010 किग्रा.
		4	संबंधित फ्लेवर–प्राकृतिक फलेवर जैसे साइट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड, मिर्च, लहसुन, पुदीना, अदरक, काली मिर्च,इलायची, कर्क्यूमाइन, हल्दी, हींग, दालचीनी, लौंग, जीरा, जायफल, सौंफ।	0.060 किग्रा.
		5	पैकिंग सामग्रियाँ/पीपी/एचडीपीई/एलडीपीई/ कागज और पेपर बोर्ड/एल्यूमीनियम फॉयल	पैकिंग नीति के अनुसार

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः इससे निर्यात उत्पाद नमकीन/मिक्स्चर/खाने की स्वादिष्ट सामग्रियों हेतु सिओन को अधिसूचित किया गया है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/85/162/247/एएम08/डीईएस–6 से जारी)